# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

**U.P. Power Corporation Limited**

( Govt. of Uttar Pradesh Undertaking )

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

**CIN : U32201UP1999SGC024928**

संख्या : 758–अरा0–09(ब)/पाकालि/16–3(7)–अरा0(09ब)/04 (टी0सी0) दिनांक : 27अप्रैल, 2016

## कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के एजेण्डा आइटम संख्या : 118(12) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय दिनांक 08–09–2015 के अन्तर्गत "दि कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0" (सेस) के कार्मिकों के संविलिनीकरण, जी0पी0एफ0 सुविधा बहाल करने एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रकरण में कार्यालय ज्ञाप सं0: 1846–अरा0–09(ब)/पाकालि/14–3(7)–अरा0(09ब)/04 दिनांक 19–09–2015 तथा सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0: 2583– अरा0–09ब /पाकालि/15–3(7) अरा0–09ब/04 दिनांक 30.12.2015 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की आख्या तथा संस्तुतियों पर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश किये जाते हैं :–

1. चूँकि सेस के परिसमापन का अन्तिम आदेश दिनांक 08.01.2014 को किया गया है, अतः सेस के नियमित कार्मिकों का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में संविलिनीकरण इसी दिनांक 08.01.2014 से किया जायेगा। दिनांक 08.01.2014 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके कर्मचारियों पर संविलयन आदेश लागू नहीं होंगे। इस प्रकार उनके सेवा प्रकरण, यदि कोई हों, सेस के बाईलाज एवं आदेशों से ही व्यवहृत होंगे।
2. सेस के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 08.01.2014 को नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे, अर्थात् दिनांक 08.01.2014 तक नियमित कर्मचारियों को दिनांक 08.01.2014 से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवा में समान पदों पर संविलीन कर लिया जायेगा।
3. सेस के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 08.01.2014 के पश्चात् नियमित किये गये हैं, उन्हें उनके नियमितीकरण की तिथि से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवा में क्षेत्रीय इकाइयों में विद्यमान समान पदों पर संविलीन किया जायेगा।
4. जहॉ तक सेस में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वह मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत यथावत् कार्य करते रहेंगे और पावर कारपोरेशन/मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में समय–समय पर लिये गये/लिये जाने वाले निर्णय एवं आदेशों से वह भी आच्छादित होंगे।
5. यदि संविलीन किये गये सेस कर्मचारी का पदनाम तथा वेतनमान पा0का0लि0 की सेवाओं में प्रचलित पदनाम तथा वेतनमान के समान है, तो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलयन के फलस्वरूप उसका यह पदनाम यथावत् बना रहेगा। यदि सेस कर्मचारी के पदनाम तथा/अथवा वेतनमान में भिन्नता है अथवा किसी भी प्रकार का विवाद या संशय है, तो प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा एक समिति गठित कर मामले के विस्तृत परीक्षणोपरान्त उस कर्मचारी के पावर कारपोरेशन की सेवाओं में सज्जीकरण (फिटमेन्ट) के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलयन के फलस्वरूप सेस के नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सम्बन्धित संवर्ग/पद में उसके

संविलयन के प्रभावी होने की तिथि को संविलीन होने वाले संवर्ग में कनिष्ठतम् कार्मिक के नीचे होगी।

7. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलयन के फलस्वरूप संविलीन सेस कर्मचारियों को संविलयन आदेश निर्गत होने के पूर्व की तिथि से पदोन्नति यदि प्रोद्भूत हो रही हो, अनुमन्य नहीं होगी।

8. पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में संविलीन होने के पश्चात् निर्धारित की गई वरिष्ठता के आधार पर न तो सेस कर्मचारी को पावर कारपोरेशन के कर्मचारी की तुलना में, और न ही पावर कारपोरेशन के कर्मचारी को सेस कर्मचारी की तुलना में वरिष्ठता के आधार पर वेतन समतुल्यता स्वीकृत की जायेगी।

9. चूँकि पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14.01.2000 को विघटन के पश्चात् अस्तित्व में आये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में दिनांक 14–01–2000 या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों को पेंशन अनुमन्य नहीं है, अतः उपरोक्तानुसार संविलियन के पश्चात् सेस के कार्मिक भी पेंशन स्कीम से आवरित नहीं होंगे, अपितु उन पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं 'द पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' के प्राविधान लागू होंगे।

2– कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0: 3662–अरा0–09(ब)/पाकालि/09–3(7)–अरा–09(ब)/04, दिनांक 27–11–2009 तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश, इस कार्यालय ज्ञाप के प्राविधानों से असंगत हों, असंगति/प्रतिकूलता की सीमा तक संशोधित/निरसित माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या–758 (1)–अरा0–09(ब)/पाकालि/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/सभी निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. विशेष सचिव (ऊर्जा अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया वह इन आदेशों के कियान्वयन हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (लेसा), मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि कारपोरेशन के इन आदेशों से समस्त सेस कर्मचारियों को अपने स्तर से अवगत करा दें।
7. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को दिनांक 01–04–2016 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 123वीं बैठक के एजेण्डा सं0: 123(6) के सन्दर्भ में।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, (सेस क्षेत्र) सेस–प्रथम, नादरगंज, अमौसी, लखनऊ/सेस–द्वितीय, 11/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, इन्द्रलोक हाईडिल कालोनी, लखनऊ/सेस–तृतीय, मोहनलालगंज, लखनऊ/सेस–चतुर्थ, गोलाकुऑं, मलिहाबाद, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, कक्ष सं0: 407, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि इन आदेशों को कारपोरेशन की वेब साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव (अरा0)